न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 103/2022

पीठासीन अधिकारी– श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी – 1. कादरखां पुत्र मियादाद खान जाति मुसलमान
निवासी नसीर की ढाणी, बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी – 1. ईमामदीन 2. कमाल पि. हकीम 3. खानू पुत्र हाजी
4. जमरदीन 5. जमाल 6. बचू पि. हकीम 7. रमदान पुत्र हाजी
8. साईया पुत्र हाजी (फौत) के का.मु. 8/1 ईदा 8/2 सदाम
8/3 सतार 8/4 साहेबा 8/5 भाईखान पुत्र साईया नाबालिग वलीय
माता हुरमत 9. साहू पुत्र सोमा
10. हलीमा पत्नी मोचार जातियान मुसलमान निवासी नसीर की ढाणी
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
11. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री दोष मोहम्मद
विप्रार्थीगण वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय

दिनांक :– 15.12.2022

राजस्व आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 14 के संयुक्त खातेदारी खेत मौजा भीलों का तला पटवार हल्का बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 213 रकबा 7.0739 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम, प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 8 व 14 की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा नसीर की ढाणी पटवार हल्का बीसासर तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 241 क्षेत्रफल 0.7608 हैक्टयर, खसरा संख्या 243 क्षेत्रफल 6.1512 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम एवं प्रार्थी स्वयं की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 376/216 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम का आया है। प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मियादादखान पुत्र उस्मान है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...श प्रार्थी के पिता का नाम कही पर नाकरिया तो कही पर मिंधा अंकित कर दिया जबकि स्वर्गीय उस्मान के नाकरिया व मिंदा नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान, पहचानपत्र, राशनकार्ड, मियादाद के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी के पिता का नाम मियादाद ही अंकित है लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित करते समय प्रार्थी के पिता का नाम गलती से मियादाद के स्थान पर नाकरिया व मिंधा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मियादाद ही है। प्रार्थी के पिता का फौतगी का नामान्तकरण प्रार्थी के पक्ष में पारित करते समय भी प्रार्थी का नाम मिंधा अंकित कर दिया है जो कि गलत है। राशनकार्ड, आधारकार्ड, स्व. मियादाद का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत है। प्रार्थी को उक्त त्रुटि का ज्ञान तब हुआ जब प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त की जो उसे इस त्रुटि का ज्ञान हुआ। प्रार्थी के पिता का नाम मींधा या नाकरिया नहीं होकर मियादाद है यदि प्रार्थी के पिता का नाम मींधा व नाकरिया कायम रखा जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा। इसलिए प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करवाने का अधिकारी है। इसलिए नाम दुरस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मींधा व नाकरिया के स्थान पर मियादाद किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगणों के ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई आये। विप्रार्थीगणों की ओर से ईकबालिये जवाब प्रार्थना पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है रिपोर्ट अनुसार ग्राम भीलों का तला पटवार मण्डल बीसासर के वर्तमान जमाबंदी के खसरा संख्या 213 में [illegible] पिता मीधा पुत्र उस्मान हिस्सा 1/6 , खसरा संख्या 376/216 में [illegible] खां पुत्र मींधा तथा ग्राम नसीर की ढाणी के खसरा संख्या 241, 243 [illegible] पिता नाकरिया पुत्र उस्मान 1/3 के नाम खातेदारी भूमि दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त खसरों में दर्ज खातेदारान के नाम की जांच वक्त बंदोबस्त खतौनी एवं तत्पश्चात दायर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

नान्तकरणों से की गई गई। खतौनी बंदोबस्त ग्राम जालीला (वर्तमान ग्राम भीलों का तला) के खसरा संख्या 213 रकबा 43.14 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि सोया, उस्मान पि. वाईदना कौम मुसलमान सा0 बिसासर के नाम दर्ज हुई। उस्मान पुत्र वाईदना के फौत होने पर ग्राम जालीला के नामान्तकरण संख्या 323 स्वीकृति दिनांक 24.05.1982 के द्वारा इमामदीन, बचू, जमालदीन, कमाल, जमरदीन पि. हकीम, हलीमा पत्नी मोचार मिदा पुत्र उस्मान के नाम की गई। खसरा संख्या 376/216 (मूल खसरा 216/2) प्रार्थी के पिता मिंधा पुत्र उस्मान ने सिकन्दर पुत्र मूसा से दिनांक 03.04.1986 को कय की थी तथा ना0 संख्या 374 स्वीकृति दिनांक 12.05.1986 द्वारा मींधा पुत्र उस्मान के नाम दर्ज हुई। खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2013 से 2031 ग्राम बीसासर (वर्तमान ग्राम नसीर की ढाणी) के खसरा संख्या 241, 243 रकबा 04.14, 38.00 कुल रकबा 42.14 बीघा भूमि हकीम मोचार नाकरिया पि. उस्मान कौम मुसलमान सिंधि के नाम दर्ज हुई थी। इसमें हकीम मोचार फौत होने पर उनके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हुई लेकिन नाकरिया पुत्र उस्मान का नामान्तकरण नहीं हुआ। मौके पर उपस्थित मौतबरान, सेढ़ो पड़ोसियान एवं सरपंच बीसासर से उस्मान पुत्र वाईदना के वारिसान के बाबत पूछताछ की गई जिसमें बताया कि उस्मान के तीन पुत्र हकीम, मोचार एवं मींधा उर्फ मीयादाद मोचार के कोई पुत्र नहीं है पत्नी हलीमा है। मींधा उर्फ मींयादाद के एक पुत्र कादर खां है। मींयादाद पुत्र ओसमान की मृत्यु रजिस्ट्रार (जीवनांक) ग्राम पंचायत बीसासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 15 रजिस्ट्रीकरण दिनांक 05.07.1999 के अनुसार दिनांक 18.06.1999 को हो चुकी है। वक्त बंदोबस्त के समय मीधा उर्फ मीयादाद के स्थान नाकरया तथा मियादाद के पिता देहान्त उपरान्त नामान्तकरणों में मींधा वल्द उस्मान अंकित कर दिया गया। प्रार्थी कादरखां के पिता स्व. मींयादाद के मतदाता परिचयपत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पहचान–पत्र कमांक PAJ03432, कादरखां के राशनकार्ड, आधार कार्ड तथा मतदाता सूची (विधानसभा) में कादरखां के पिता का नाम मियादाद अंकित है। अतः ग्राम जालीला (वर्तमान ग्राम भीलों का तला) के नामान्तकरण संख्या 323 में दर्ज उस्मान पुत्र [illegible] के वारिसान तथा पुश्त पर अंकित खुर्शीनामा अनुसार एवं स्व. मीयादाद पुत्र [illegible] के पहचान दस्तावेजों तथा सरपंच बीसासर एवं पडौसियान सह खातेदारान [illegible] सहमति से ग्राम भीलों का तला के खसरा संख्या 213 रकबा 7.0739 हैक्टयर में मींधा पुत्र उस्मान के स्थान पर स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...दाद पुत्र उस्मान, खसरा संख्या 376/216 रकबा 5.6656 हैक्टयर में कादरखां पुत्र मींधा के स्थान पर कादरखां पुत्र मींयादा तथा ग्राम नसीर की ढाणी के खसरा संख्या 241, 243 रकबा क्रमशः 0.7608, 6.1512 कुल रकबा 6.9120 हैक्टयर में नाकरिया पुत्र उस्मान के स्थान पर स्व. मिंयादाद पुत्र उस्मान दुरस्ती किया जाना उचित है।

उभयपक्षकारान वकील उपस्थित। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गयी। विप्रार्थीगण वकील ने बहस में कथन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार नाम दुरस्ती किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहस पर मनन किया पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा भीलों का तला पटवार हल्का बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 213 क्षेत्रफल 7.0739 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम एवं मौजा नसीर की ढाणी पटवार हल्का बीसासर तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 241 क्षेत्रफल 0.7608 हैक्टयर खसरा संख्या 243 क्षेत्रफल 6.1512 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम एवं मौजा भीलों का तला पटवार हल्का बीसासर तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 376/216 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम भूमि में नाम दुरस्त कर नाकरिया व मिंधा के स्थान पर मियादाद किये जाने आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।**

तहसीलदार सेड़वा उक्त आदेशानुसार कार्यवाही कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखि... हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को ... परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:23 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा